

अभिलेख उपस्थापित किया। अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा से त्रुटि निराकरण उपरांत प्राप्त हुआ है। अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि मौजा-मंजवारा घाट, थाना नं0-474 के गैरमजरूआ खाता अन्तर्गत खेसरा नं0-484 एवं 486 क्रमशः किस्म पोखर के रूप में दर्ज है। इसलिए अभिलेख में वर्णित खेसरा सं0-488 के जगह पर खेसरा सं0-486 संशोधित समझा जाय।

अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम-1949 धारा -35 एवं झारखण्ड सरकार, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक-6144/रा0 दिनांक -21.12.2017 तथा पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण 89/2020-1704/रा0 दिनांक-15.07.2020 के आलोक में मौजा-मंजवारा घाट, थाना नं0-474, खाता सं0-98, खेसरा सं0-484 एवं 486 का अंश रकवा-03-19-11 धुर किस्म पोखर की भूमि की मनु महामरीक वगैरह, पिता-गुंजर महामरीक, साकिन-घाट मंजवारा के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया है।

अत-अंचल अधिकारी, गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर मौजा-मंजवारा घाट, थाना नं0-474, खाता सं0-98, खेसरा सं0-484 एवं 486 का अंश रकवा-03-19-11 धुर जमीन की मनु महामरीक वगैरह, पिता-गुंजर महामरीक, साकिन-घाट मंजवारा के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द किया जाता है।

तदनुसार अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

Rituraj
09/10/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

Rituraj 09/10/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,

गोड्डा।